बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :– बु0वि0 / सम्ब0 / 2016 / 167

दिनांक :– 13/05/2016

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव,
प0 वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय,
कोछाभांवर, झांसी।

विषयः– प0 वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय, कोछाभांवर, झांसी को स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान) विषयों / पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2016 से सम्बद्धता की सशर्त अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0–1146 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के अधीन **प0 वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय, कोछाभांवर, झांसी** को स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान) विषयों / पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 03.05.2016 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल की आख्या में की गई संस्तुति का परीक्षण किया गया।

परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी ने **प0 वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय, कोछाभांवर, झांसी** को स्ववित्त पोषित योजना के अर्न्तगत स्नातक स्तर पर कला संकाय में बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान) विषयों / पाठ्यक्रमों में **दिनांक 01.07.2016 से** सम्बद्धता की सशर्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है :–

1. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय विश्वविद्यालय के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक / सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स0 61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के